समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 सच्चिदानंद सिंह, सा0–फुलौत, थाना–चौसा, जिला–मधेपुरा को एक, दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या–1773/1771 (चौसा थाना) प्राप्त है, जिस पर बंदूक संख्या–41155 By W.J.Jefferey Made in England धारित है। उनके पुत्र श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 सच्चिदानंद सिंह, सा0–फुलौत, थाना–चौसा, जिला–मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता सच्चिदानंद सिंह की मृत्यु दिनांक 18.04.2016 को हो चुकी है।

अतः श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 सच्चिदानंद सिंह द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् उनके पिता स्व0 सच्चिदानंद सिंह के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या–1773/1771 को **रद्द** किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित दो नाली बन्दूक संख्या–41155 By W.J.Jefferey Made in England को मेसर्स विशाल गन हाउस, पूर्णियाँ में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 सच्चिदानंद सिंह को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 93 /श0, मधेपुरा, दिनांक 08.09.2016

प्रतिलिपि : श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 सच्चिदानंद सिंह, सा0–फुलौत, थाना–चौसा, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स विशाल गन हाउस, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।